संयुक्त सचिव
JOINT SECRETARY

उप–राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

सत्यमेव जयते

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/अपील/82-2020-2021 **31 मई, 2021**

सेवा में,

श्रीमती व्ही. पार्वती,
पत्नी स्व. श्री व्ही. नारूडू,
क्वॉटर नं. 16/एफ, सड़क नंबर,
एवेन्यू डी, खुसीपार जोन-2, भिलाई,
जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

कृपया अपने 18.05.2021 के पत्र जोकि इस सचिवालय में 24.05.2021 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करें जिसके साथ आपने बीस-बीस रूपये के दो पो.ऑ.सं. 20G 189090, पो.ऑ.सं. 20G 189091 तथा दस रूपये का एक पो.ऑ.सं. 56F 601119 संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत इस सचिवालय द्वारा दिये गये उत्तर से संतुष्ट न होने पर प्रथम अपील की है।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि इस सचिवालय के सूचना अधिकारी ने आपको स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया था कि आपके पत्र की विषय-वस्तु उपराष्ट्रपति सचिवालय से संबंधित नहीं है तथा आपका उक्त आवेदन उचित कार्यवाही/ध्यानाकर्षण हेतु श्रीयुत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ को अग्रसारित कर, इसकी सूचना से आपको भी अवगत कराया गया था (प्रति संलग्न)।

आपको परामर्श है कि आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपनी प्रथम अपील भी श्रीयुत जनसूचना अधिकारी, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ को सीधे प्रेषित करें।

धन्यवाद,

भवदीय,

अशोक

(अशोक दीवान)
प्रथम अपील प्राधिकारी

VPSEC/R/P/21/00025

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

सत्यमेव जयते

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/82/2020-21 **17 मार्च, 2021**

सेवा में,

श्रीमती व्ही. पार्वती
पत्नी स्व. श्री व्ही. नायडू,
क्वाटर नं. 16/एफ, सड़क नंबर,
एवेन्यू डी, खुसीपार जोन-2, भिलाई,
जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

कृपया अपने 10.03.2021 के पत्र जोकि इस सचिवालय में 15.03.2021 को प्राप्त हुआ है तथा जिसके साथ आपने दस रूपये का पो.आ.सं. 56F 598999 संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत इस सचिवालय को दिनांक 27.06.2020 को प्रेषित अपने पत्र पर की गई कार्रवाई की सूचना उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया है।

इस विषय में आपको सूचित करना है कि आपके दिनांक 27.06.2020 के पत्र को इस सचिवालय द्वारा उचित ध्यानाकर्षण/कार्रवाई हेतु श्रीयुत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ को 07.08.2020 को अग्रसारित कर दिया गया था जिसकी एक प्रति आपको भी प्रेषित की गई थी (प्रति संलग्न)। आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे श्रीयुत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ के कार्यालय से संपर्क करें।

धन्यवाद,

भवदीय,

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

SPEED POST